वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 265/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-26.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 26.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-तहबरपुरः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व सहयोग करने वालें वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 23.07.2025 को वादी मुकदमा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 23.07.2025 को सुबह लगभग 04 बजे मेरी पुत्री जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष को आशीष यादव पुत्र राधेश्याम यादव पता अज्ञात द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर शैलेश यादव पुत्र रामकेर यादव के सहयोग से भगा ले गया है प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/2025 धारा 137(2),87,61(2) बीएनएस बनाम 1. आशीष यादव पुत्र राधेश्या यादव पता अज्ञात 2. शैलेश यादव पुत्र रामकेर ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लोकेश मणि त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 पास्को एक्ट का अपराध पाये जाने की दशा में उक्त धारा की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। जिसके फलस्वरूप -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 26.05.2025 को उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आशीष यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम भोर्रा मकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 2. शैलेश यादव पुत्र रामकेर निवासी ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को पुर्वान्चल एक्सप्रेसवे के नीचे बने नैपुरा नहर अण्डरपास से समय 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. आशीष यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम भोर्रा मकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. शैलेश यादव पुत्र रामकेर निवासी ग्राम मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 169/2025 धारा 64(1),137(2),87,61(2) बी.एन.एस. व 3/4 पोक्सो

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 उ0नि0 श्री लोकेश मणि त्रिपाठी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 रत्नेश यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 ताहिर अली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना बरदहः साइबर फ्राड के 74,499/- रूपया वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.25 को आवेदक श्याम कन्हैया निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ को कोई अज्ञात व्यक्ति फेसबुक पर आवेदक के रिश्तेदार की फोटो लगाकर फेक आई0डी0 बनाकर विदेश में पुलिस द्वारा पकड लिये जाना बताकर सहायता के लिए आवेदक से पैसा ट्रांसफरा करा लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना बरदह पर साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करायी गयी है। थाने के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 3310325xxxxxxxxx है। क0आ0 विद्यासागर वर्मा थाना बरदह द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक का 74499/- रू0 होल्ड करा दिया गया था । आवेदक का फ्राड हुआ पैसो में से 74499/- रूपये आवेदक के बैंक खाता में वापस करा दिया गया है।

रूपया वापसी का विवरणः-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के निर्देशन में थाना बरदह के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर विद्यासागर वर्मा द्वारा आवेदक श्याम कन्हैया उपरोक्त के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक के खाते से स्थानान्तरित हुए रूपया अभियुक्त के बैंक खाता में होल्ड कराया गया तथा मा0 न्यायालय के आदेश से वापस आवेदक के बैंक खाते में वापस करा दिया गया। आवेदक द्वारा अपने रूपये पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1- थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह थाना बरदह
2- उ0नि0 मनीष कुमार सिंह (साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना बरदह
3- क0आ0 विद्यासागर वर्मा (साइबर हेल्प डेस्क) थाना बरदह
4- का0 नीरज यादव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना बरदह
5- म0आ0 अर्चना यादव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना बरदह

03. थाना देवगाँव: चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को आवेदक भागीरथी पुत्र नन्हकू राम ग्राम कपसेठा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ केने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि मोटर साइकिल HF Deluxe जिसका नं0- UP50BUxxx अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने, काफी खोजबीन करने पर नही मिलने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात् पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 गिरिजेश यादव को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.07.2025 को उ0नि0 गिरिजेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त आदर्श मौर्य पुत्र विरेन्द्र मौर्या सा0 नन्दापुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को चोरी गये 01 मोटरसाइकिल के साथ कलीचाबाद के पास से समय 18.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 250/2025 धारा 303(2),317(2) बी0एन0एस0 थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-आदर्श मौर्य पुत्र विरेन्द्र मौर्या सा0 नन्दापुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल HF DELUX UP50DB 9149

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गिरिजेश यादव थाना देवगांव आजमगढ़
2. हे0का0 अमित गर्ग थाना देवगांव आजमगढ़
3. का0 दिग्विजयनाथ तिवारी थाना देवगांव आजमगढ़
4. का0 अनिल यादव थाना देवगांव आजमगढ़

04.थाना सरायमीर: अपहरण के अभियोग में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.07.2025 को थाना सरायमीर अन्तर्गत एक महिला ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दी कि एक बाल अपचारी द्वारा वादिनी की नाबालिक नतिनी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम बाल अपचारी के पंजीकृत किया गया था। जिसमे नाबालिक लड़की की दिनांक 25.07.2025 को बरादमगी की गयी तथा आज दिनांक- 26.07.2025 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को बस्ती बाजार से समय करीब 12.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।